राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4379/2025

रेखा चौधरी

–अपीलार्थी

बनाम

अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 03.10.2025
आदेश की दिनांक : 03.10.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के दिनांक 11.7.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया है, जिसमें अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके निवास के निकटवर्ती क्षेत्र में रिक्त पद पर उसकी नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार किया गया था। अपीलार्थी के पति भी चित्तौड़गढ़ जिले में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। अपीलार्थी अपने निवास से लगभग 100 किलोमीटर दूर और ऐसी जगह कार्यरत है जहाँ कोई पद उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी का वेतन भी अन्य स्थान से प्राप्त होता है और आस–पास के क्षेत्रों में पद रिक्त पड़े हैं। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को दिनांक 09.12.2024 के आदेश द्वारा शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात दिनांक 09.12.2024 के आदेश के अनुसरण में, अपीलार्थी को दिनांक 18.12.2024 के आदेश द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थ किया गया। (अनुलग्नक–2) दिनांक 18.12.2024 के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने दिनांक 19.12.2024 को अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीला धवा, ढाकपुरी, मालाखेड़ा, अलवर में कार्यभार ग्रहण कर लिया और तब से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थ है, किन्तु वास्तव में वर्तमान विद्यालय में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–I का कोई पद रिक्त नहीं है। अतः मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मालाखेड़ा, अलवर ने जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक अलवर को दिनांक 20.12.2024 को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया। (अनुलग्नक–4)

अपीलार्थी वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्यरत है, जबकि वहां कोई पद रिक्त नहीं है तथा अपीलार्थी का वेतन भी वर्तमान तैनाती स्थान से नहीं लिया जाता है, अतः अपीलार्थी को किसी भी समय किसी अन्य स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत दिनांक 11.7.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 15 दिवस की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष